कार्यालय उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र।

पत्रांकः 26/डी0डी0/फा0स0/मेरठ-17(1)/221. दिनांकः फरवरी 28. 2017,

सेवा मे,

मुख्य वास्तुविद नियोजक
नौएडा प्राधिकरण सेक्टर-6,
जनपद-गौतमबुद्धनगर।

विषयः **मैसर्स एक्सप्रेस बिल्डर्स एण्ड प्रमोटर्स प्रा0लि0, द्वारा प्लाट न0 जी0एच0-02ए0, सेक्टर-77 नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित आवासीय भवन "एक्सप्रेस जैनिथ" (टावर-ए0) के निर्माण हेतु संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

सन्दर्भः यूआईडी:2017/27971/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/6351/डी0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र के माध्यम से प्रश्नगत आवासीय भवन के अतिरिक्त निर्माण हेतु संशोधित मानचित्र संलग्न कर संशोधित प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर से अनुरोध किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे मानचित्रों एवं प्रस्तुत अभिलेखों का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज-प्रथम श्री सुशील कुमार यादव से कराया गया तो उनकी आख्या पत्रांकः भ-1/एफएसओ/प्रथम-2017 दिनांकः 27-02-2017 का मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर श्री रामराजा यादव द्वारा सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांकः 28-02-2017 इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी जिसका परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया विदरण निम्नवत हैः-

क-भवन की संरचनाः-कुल प्लाट एरिया-21,700.00 वर्ग मी0 है। जिसको मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर के पत्रांक संख्याः भ-55/सीएफओ/जीबीएन-11/820 दिनांकः 07-07-2011 के द्वारा प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। तथा वर्तमान मे टावर ए0 के निर्माण हेतु आंशिक संशोधन के उपरान्त भवन का फ्लोरवाईज एरिया विवरण निम्नवत हैः-

क0स0	नम टावर	तलों का विवरण		प्रस्तावित भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।		टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।		ऊचॉई मी0।	
		पूर्व	वर्तमान	पूर्व	वर्तमान	पूर्व	वर्तमान	पूर्व	वर्तमान
1	टावर-ए0	बेस0+भूतल+14 तल	बेस0/स्टिल्ट+भूतल+19 तल	950.00	1000.607	–	944.258	45.00	59.30
2	कामर्शियल	बेस0+भूतल	बेस0+भूतल	470.318	470.318	–	–	03.20	03.20

बेसमेन्टः- प्रश्नगत भवन के टावर ए0 मे सिंगल बेसमेन्ट जिसका कवर्ड एरिया-2938.00 वर्ग मी0 है।

ख-भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड विवरणः- प्रस्तावित भवन का अधिभोग एन0बी0सी0-2005 की आवासीय भवन ए0-4 श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ग-ढांचागत व्यवस्थाः-

1-पहुॅच मार्गः- भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे 60.00 मी0 रोड की चौडाई अंकित की गई है।

2-प्रवेश द्वारः- प्रस्तावित भवन मे प्रवेश द्वार जिनकी चौडाई-06.00 मी0 है जो मानक के अनुसार है।

3- सैटबेकः- प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत हैः-

ए0-अग्रभाग-15.00 मी0।
बी0-पृष्ठ भाग-09.00 मी0।
सी0-पार्श्व भाग प्रथम-09.00 मी0।
डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-09.00 मी0 है।

(अमन शर्मा)
उप निदेशक फा0स0
मेरठ

उपरोक्तनुसार प्रस्तावित भवन के सैटबेक नौएडा भवन विनियमावली-2010 मानक के अनुसार है, तथा अग्निशमन वाहनों की आवश्यकताओं हेतु टावरों के चारो ओर 06-06 मी0 मोटरेबुल हार्ड मार्ग खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य होगा। तथा सैटबेक मे किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नही होगा, सैटबेक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायें।

4-निकास मार्गः-प्रस्तावित भवन मे 02 स्टेयरकेस प्रस्तावित है जिनकी चौडाई 01.50 व 01.25 मीटर मानचित्रों के अनुसार प्रस्तावित है, तथा मार्गो की फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5-रिफयूज एरियाः-प्रस्तावित भवन मे रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक टावर मे बालकानी का प्राविधान मानको के अनुसार किया गया है।

घ-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था- नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं उसमे सन्दर्भित बी0आई0एस0-3844 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाओ को प्राविधानित किया जाना वॉच्छनीय है।

1-भूमिगत टैंकः- भूमिगत टैंक 75,000 पिचत्तर हजार ली0, क्षमता का बी0आई0एस0-3844 के अनुसार स्थापित कराया वॉच्छनीय है।

2–पम्पस– अण्डर ग्राउण्ड टैंक के पास मेन पम्प 2280 एल0पी0एम0 क्षमता का एक अदद विद्युत चालित पम्प, डीजल चालित पम्प 2280 एल0पीएम0 क्षमता, जौकी पम्प 180 एल0पी0एम0, क्षमता का मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना वॉछनीय है।

3–होजरीलः– प्रस्तावित भवन मे होजरील लैण्डिंग वाल्व, मय होजरील एवं होज बाक्स, व साधारण ब्रान्च पाइप का प्राविधान मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

4–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0– 2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है जो मानको के अनुरूप है।

5–वेटराइजरः– प्रस्तावित भवन मे वेटराईजर कम डाउनकामर एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

6–यार्ड हाइड्रेण्टसः– प्रस्तावित भवन परिसर मे रिंग लाइन, यार्ड हाईड्रेण्टस होज केबिनेट एवं उसमे डिलीवरी होज तथा ब्रान्च पाइप एवं फायर सर्विस इन्लेट का एन0बी0सी0 प्राविधान मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

7–मैनुवली आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः– प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन मे मैनुवली आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

8–आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम :– प्रश्नगत भवन मे ओटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार किया जाना वॉच्छनीय है।

9–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टमः– प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट सहित सम्पूर्ण भवन के प्रत्येक तल पर आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

10–टेरिस टैंक– प्रश्नगत भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक 10,000 लीटर क्षमता का एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना वॉच्छनीय है।

11–टेरिस पम्पः–प्रश्नगत भवन की टेरिस पर टेरिस पम्प 900 एल0पी0एम0 वॉच्छनीय नही है।

12–स्मोक एक्सट्रेक्शनः– प्रस्तावित भवन मे स्मोक एक्सट्रेक्शन एन0बी0सी0 मानको के अनुरूप वॉच्छनीय है।

13–प्रेशराईजेशन सिस्टमः– प्रस्तावित भवन मे प्रेशराईजेशन सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुरूप वॉच्छनीय है।

14–एग्जिट साईनेजः– प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त एग्जिट साईनेज स्थापित कराये जाने अनिवार्य होगे।

15–पी0ए0 सिस्टमः– प्रस्तावित भवन मे पी0ए0 सिस्टम वॉच्छनीय है।

अतः उपरोक्तानुसार मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर एवं अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज–प्रथम की संस्तुति आख्या के आधार पर मैसर्स एक्सप्रेस बिल्डर्स एण्ड प्रमोटर्स प्रा0लि0, द्वारा प्लाट न0 जी0एच0–02ए0, सेक्टर–77 नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित आवासीय भवन "एक्सप्रेस जैनिथ" (टावर–ए0) के निर्माण हेतु संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र।

(अमन शर्मा)
उप निदेशक फा0 स0
मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र।

प्रतिलिपिः1–संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस उ0प्र0 लखनऊ को सादर सूचनार्थ।

2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3–अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज–प्रथम जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4–मैसर्स एक्सप्रेस बिल्डर्स एण्ड प्रमोटर्स प्रा0लि0, द्वारा प्लाट न0 जी0एच0–02ए0, सेक्टर–77 नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उक्त के सम्बन्ध में अनुपालनार्थ।